04.08.2026

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उपस्थित।

प्रकरण खात्मा साक्ष्य हेतु नियत है।

खात्मा साक्षी अक्षय जैन उपस्थित। उक्त साक्षी के खात्मा साक्ष्य अंकित किये गये।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि आरक्षी केन्द्र गढ़ा द्वारा थाना के अपराध क्र. 740/2014 अंतर्गत धारा 379 भा.द.सं. में खात्मा क्र. 210/2014 इस आशय का प्रस्तुत किया है कि उक्त अपराध की विवेचना के दौरान अज्ञात अभियुक्त की तलाश किये जाने पर उक्त अज्ञात अभियुक्त का कोई पता नहीं चला जिस कारण निकट भविष्य में भी अज्ञात अभियुक्त की मिलने की कोई संभावना ना होने के कारण उक्त खात्मा प्रस्तुत किया गया।

खात्मा के संबंध में सूचनाकर्ता अक्षय जैन द्वारा व्यक्त किया कि उसका नाम अक्षय जैन पिता श्रीचंद जैन है। वह म.नं. 2705 छोटा जैन मंदिर के पास त्रिपुरी चौक के पास जबलपुर में निवास करता है। घटना वर्ष 2014 की है। उक्त दिनांक को उसने अपना वाहन घर के सामने खड़ा कर दिया था और वापस आकर देखा तो उसे उसका वाहन नहीं मिला। जिसके संबंध में थाना गढ़ा में रिपोर्ट लिखायी थी। उक्त वाहन किसने चोरी किया उसे जानकारी नहीं है। पुलिस ने खात्मा लगाया, जिसकी उसे जानकारी है। वह खात्मा कार्यवाही समझता है और **उसे खात्मा कार्यवाही में कोई आपत्ति नहीं है।**

केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक–26.07.2014 को दर्ज होने के पश्चात घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया गया। विवेचना के दौरान सूचनाकर्ता अक्षय जैन के कथन भी लेखबद्ध किये गये, विवेचना के दौरान अज्ञात अभियुक्त की कोई जानकारी नहीं होना व्यक्त किया है। केस डायरी के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के दौरान अभियुक्त की तलाश किया, लेकिन कोई जानकारी प्राप्त नहीं। विवेचना के दौरान तत्पश्चात् खात्मा की अनुमति प्राप्त कर खात्मा चाक किया।

म.प्र. पुलिस मेन्युअल एवं रेगुलेसन के नियम 786 के अनुसार निम्न दशाओं में अन्वेषण की समाप्ति बतायी गई है–

1. जब पुलिस सूचित करती है कि आरोप सिद्ध है और अभियुक्त को विचारण के लिये लाया जाता है।

2. जब पुलिस यह सूचित करती है कि आरोप सिद्ध नहीं हुआ है और अभियुक्त यदि अभिरक्षा में हो, जमानत पर रिहा कर दिया गया हो।

3. जब पुलिस यह सूचित करती है कि मामला बिल्कुल सत्य है परंतु अपनी शक्ति भर प्रयास करने के बाद भी किसी व्यक्ति के विरूद्ध अपराध सबूत करने में वे असमर्थ रहे हैं या उस व्यक्ति की खोज में असमर्थ रहे हों जिस पर अपराध किया जाना विश्वास किया जाता है।

म.प्र. पुलिस मेन्युअल एवं रेगुलेसन के नियम 788 के अनुसार प्रत्येक माह के प्रारंभ होने तक आरक्षी केन्द्र का प्रत्येक प्रभारी अधिकारी अपराधों के अपने अभिलेखों की जो कि अन्वेषित किये गये हों और बिना पता लगे हुए हों, सूक्ष्म जांच करेगा और उन मामलों में खात्मा पेश करेगा जो कि आशा रहित हों। इसका यह अर्थ नहीं है कि जब शीघ्र गिरफ्तारी ना हो सके तो खात्मा भेज देना चाहिए, इतने समय तक प्रत्येक मामला लंबित अवश्य रखा जाये जब तक कि दोषी के संबंध में सूत्र प्राप्त किये जाने की दिशा में कोई आशा और केवल प्रत्येक प्रयास विफल होने के बाद और पुलिस यह अनुभव करे कि अब वे आगे कुछ नहीं कर सकते तभी खात्मा पेश किया जाना चाहिए।

इस प्रकार केस डायरी तथा सूचनाकर्ता के कथनों के अवलोकन के उपरांत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किये जाने के उपरांत विवेचना के दौरान पुलिस बल द्वारा अपने संपूर्ण प्रयासों से अभियुक्त की तलाश की है। जिसके पश्चात् भी अज्ञात अभियुक्त के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। खात्मा स्वीकार किये जाने के संबंध में सूचनाकर्ता द्वारा अनापत्ति भी प्रकट की है।

अतः केस डायरी के अवलोकन उपरांत अनुसंधान कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुए आरक्षी केन्द्र गढ़ा द्वारा थाना के अपराध क्र. 740/2014 अंतर्गत धारा 379 भा.द.सं. में खात्मा क्र. 210/2014 को स्वीकार किया जाता है।

आदेश की एक प्रति थाना प्रभारी गढ़ा, जिला जबलपुर को दी जावे।

केस डायरी इस निर्देश के साथ लौटायी जाती है कि अभियुक्त की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी पुनः अपराध का

अनुसंधान प्रारंभ करेगा और न्यायालय को सूचित करेगा।

केस डायरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट व अभियोग पत्र की छायाप्रति इस प्रकरण में संलग्न की जाये।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जाये।

सही/–
(पंकज सविता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
जिला जबलपुर म.प्र.

PANKAJ SAVITA
Digitally signed by PANKAJ SAVITA
Date: 2026.08.04 18:03:58 +0530